

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] No. 606] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

सं. 03 / 2014

सा.का.िन. 820(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 7ख और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को अधिसूचित करती है जिसमें निम्न लेखा विवरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान धारा 7क की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस कोष से वित्तपोषित क्रियाकलापों का विवरण दिया गया है:—

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एन एफ सी डी ए मुख्य शीर्ष 8121.00.118.01 सामान्य एवं आरक्षित कोष से संबंधित लेखों का विवरण-प्राप्ति एवं संवितरण

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां	संवितरण	अंतशेष
		[केन्द्र	[अध्याय-Vक के	[किसी	[उपर्युक्त प्रावधानों			
		सरकार	अंतर्गत जब्त की	व्यक्ति या	के अंतर्गत इस कोष			
		(बजट	गई किसी	संस्था द्वारा	में जमा धनराशि के			
		्र प्रावधान)]	सम्पत्ति का बिक्री	दिया गया	निवेश से प्राप्त			
			आगम]	कोई	कोई आय]			
				अनुदान]				
		मुख्य शीर्ष:	मुख्य शीर्ष :	मुख्य शीर्ष :	मुख्य शीर्ष :			
		2070- अन्य	0070-अन्य	8121-	8121- सामान्य			
		प्रशासनिक	प्रशासनिक	सामान्य एवं	एवं अन्य आरक्षित			
		सेवाएं; लघु	सेवाएं;	अन्य	कोष;			
		शीर्ष: 797-	उप प्रमुख शीर्ष:	आरक्षित	लघु शीर्ष- 118-			
		आरक्षित/	60-अन्य सेवाएं		राष्ट्रीय औषधि			
		जमा खाते में	लघु शीर्ष: 800-	लघु शीर्ष-	दुरुपयोग नियंत्रण			
		अंतरण; उप-	अन्य प्राप्तियां;	118-	कोष पर ब्याज			

4570 GI/2014 (1)

		शीर्ष:01- राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष में अंतरण अन्य शीर्ष: 63- अंतरलेखीय अंतरण	नया उप- शीर्षः07- इस अधिनियम की धारा 68ट के अंतर्गत किसी सम्पत्ति के बदले में दंड से हुई प्राप्ति	राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष; नया उप शीर्षः 02-किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिए गए अनुदान से हुई प्राप्तियां	नया उप-शीर्ष 03- भारत सरकार द्वारा व्याज भुगतान से हुई प्राप्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7-8)
2013- 14	20,44,81,925/-	0	44,65,847/-	0	1,73,54,750/-	2,18,20,597/-	63,80,400/-	21,99,22,122/-

[फा. सं. एन-21014/01/2014-एनसी-1]

टी. के. सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2014

No. 03/2014

G.S.R. 820(E). —In terms of Section 7B of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and rule 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund For Control of Drugs Abuse) Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the annual report giving an account of activities financed under sub-section (2) of Section 7A out of the Fund during the financial year 2013-14 together with Statement of Accounts as under:--

STATEMENT OF ACCOUNT IN RESPECT OF NFCDA MAJOR HEAD 8121.00.118.01 – GENERAL AND RESERVE FUND FOR THE YEAR 2013-14 RECEIPT AND DISBURSEMENT

Year	Opening		Re	ceipts	Total Receipts	Disburse-	Closing	
	Balance					ment	Balance	
		[Central	[The Sale	[Any grants	[Any income			
		Govern	Proceeds of	made by	from investment			
		ment	any property	person or	of the amounts			
		Budget	forefeited	instituted]	credited to the			
		Provision]	under		Fund under the			
			Chapter VA]		aforesaid			
					provisions]			

		MH:2070- Other Admn. Services; MnH:797- Transfer to Reserve/ Deposit Account; SH:01- Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse; OH: 63-Inter- Account transfer.	MH:0070- Other Admn. Services; SMH: 60- Other Services MnH:800- Other Receipt; New Sub Head: 07- Receipts from fines in lieu of forfeiture of property under Section 68 K of the Act.	MH:8121- General and other Reserve Funds; MnH:118- National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub Head: 02- Receipts from grants by any person or institution.	MH: 8121- General and other Reserve Funds; MnH:118- Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse; New Sub-Head: 03-Receipts from interest payment by the Govt. of India.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4+5+6)	(8)	(9) (2+7-8)
2013- 14	20,44,81,925/-	0	44,65,847/-	0	1,73,54,750/-	2,18,20,597/-	63,80,400/-	21,99,22,122/-

[F. No. N-21014/01/2014-NC-1]

T.K. SATPATHy, Under Secy.